संख्या-1043/2025/3804/22-2-2023-17(1355)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 20 अगस्त, 2025

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पाण्डेय उर्फ रिन्कू पुत्र श्री गौरी शंकर पाण्डेय, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-09-2023), दिनांक-04-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पाण्डेय उर्फ रिन्कू पुत्र श्री गौरी शंकर पाण्डेय, जो ग्राम-इमिलिया वीरेपुर, थाना-मोतीगंज, जनपद-गोण्डा का निवासी है। रू0 दो लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक-26.02.2005 को बंदी ने 03 वर्षीय बालक चंदन का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-286/2005, धारा-364ए आईपीसी में मा० विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), गोण्डा के आदेश दिनांक 29.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.06.2022 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 01 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रू० दो लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 26.02.2005 को बन्दी ने 03 वर्षीय बालक चंदन का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध 03 वर्ष के बालक का अपहरण की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अवधेश कुमार पाण्डेय उर्फ रिन्कू पुत्र श्री गौरी शंकर पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पाण्डेय उर्फ रिन्कू (बन्दी संख्या-194/2014) पुत्र श्री गौरी शंकर पाण्डेय, निवासी जनपद-गोण्डा को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1043/2025/3804(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-1043/2025/3804/22-2-2023-17(1355)/2023

दिनांक: 20 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पाण्डेय उर्फ रिन्कू पुत्र श्री गौरी शंकर पाण्डेय, जो ग्राम-इमिलिया वीरेपुर, थाना-मोतीगंज, जनपद-गोण्डा का निवासी है। रू0 दो लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक-26.02.2005 को बंदी ने 03 वर्षीय बालक चंदन का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-286/2005, धारा-364ए आईपीसी में मा० विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), गोण्डा के आदेश दिनांक 29.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.06.2022 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 01 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रू० दो लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 26.02.2005 को बन्दी ने 03 वर्षीय बालक चंदन का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध 03 वर्ष के बालक का अपहरण की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अवधेश कुमार पाण्डेय उर्फ रिन्कू पुत्र श्री गौरी शंकर पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है